छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>**अपील प्रकरण कमांक 410/2007**</u>

1. श्री ओ0पी0 वर्मा, -
अपीलार्थी
डिप्टी कलेक्टर,
जिला- जशपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, - प्रति अपीलार्थी
छ0ग0 शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 17 अगस्त, 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री ओ0पी0 वर्मा द्वारा अपने आवेदन दिनांक 05.12.2006 के द्वारा जन सूचना अधिकारी के समक्ष जानकारी प्राप्त करने प्रस्तुत किया था । सामान्य प्रशासन विभाग ने दिनांक 06.01.2007 को उन्हें जानकारी प्रदाय की, जिसमें उन्होंने कुछ अतिरिक्त जानकारी चाही थी और यह बताया गया था कि सी0डी0 में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, उससे असंतुष्ट होकर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 23.03.2007 को आदेश पारित कर उनकी अपील अस्वीकार की गई, उसी आदेश से असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी ने व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्ति चाही है और रिकार्ड के आधार पर निर्णय चाहा है । केवल प्रति अपीलार्थी की व्यक्तिगत सुनवाई की जाकर प्रकरण में आदेश दिया जा रहा है । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने इस संबंध में अपने विस्तृत आदेश में यह उल्लेख किया है कि अपीलार्थी को लिखकर पूछा गया था कि किस प्रकार से प्रकरण से संबंधित सूची चाहते हैं, उसका विवरण तैयार करके भेजा जावे और सी0डी0 में जानकारी नहीं है । उसका उत्तर उनके द्वारा नहीं दिया गया था । अत: अधिनियम के अन्तर्गत उक्त जानकारी देना संभव नहीं होने के कारण उनके

द्वारा अपील अस्वीकार की गई । चूंकि अपीलार्थी ने अपनी अपील में कोई अन्य आधार स्पष्ट नहीं किये है । अतः अब द्वितीय अपील में अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में अन्य कोई जानकारी नहीं दिये जाने के कारण यह द्वितीय अपील स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती है । अतः अपीलार्थी को चाहिये कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जा जानकारी चाही जा रही है, वह उनके द्वारा प्रदाय की जाकर संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है । इस संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी और जन सूचना अधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

3/ अतः उक्त अपील निरस्त की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त